

श्री अखतरूल ईमान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शिक्षा-64		श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, पटना, बिहार।
प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में डोमिसाईल नीति लागू ना होना बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों की संख्या शिक्षक बहाली में तुलनात्मक आधक है;	उक्त यह कि भारत के अन्तर्गत अनुच्छेद 309 "परन्तुक" के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कारवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 में संशोधन कर नियमावली बनाई गई है, जिसमें अभ्यर्थी को "भारत का नागरिक हो" का प्रावधान है। वर्तमान में
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक बहाली में डोमिसाईल नीति लागू ना होना से राज्य के युवाओं को राजगार में जो अवसर मिलना था वो उनको ना मिलकर बाहर के राज्य के युवाओं को मिला,	उक्त के आलाक में शिक्षक बहाली में डोमिसाईल नीति लागू करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।
	याद उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो शिक्षक बहाली में डोमिसाईल नीति लागू ना करने का क्या औचित्य है?	

ज्ञापांक : 11 / वि०स० 05-200 / 2024. 2806...

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, बिहार विधान सभा / प्रशाखा-01, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 22/11/2024

अपर सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

pa1